

03.06.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित।  
विप्रार्थीगण नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी सरगया  
01 से 36 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली पर  
उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन  
किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित  
भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की  
पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है।  
प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,  
जिससे स्पष्ट हो कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रही थी।  
ऐसी सूरत में नेखमबन्दी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना  
आवश्यक है। अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी  
किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की  
मौजा भैरूपुरा, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर  
754/258, 259, 523/64 रकबा क्रमशः 5.5198, 2.7438, 12.1406 हैक्टेयर  
विवादित भूमि के संबंध में पूर्व सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे।  
सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात  
कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा** को कमिश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये  
नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जाये।  
कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर  
एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।  
**भू-अभिलेख निरीक्षक गूंगा** बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहसील  
जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**शिव, बाढ़मेर**